

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018

खेलकूद अनुभाग

विषय:- Sanction of grants-in-aid to State Youth Welfare Board, Uttarkhand, Department of Sports & Youth Welfare, for laying of Synthetic Hockey Field, at Sports Stadium Roshnabad, Salempur, Haridwar under Khelo India Scheme-General Component-Scheduled Caste Component-Scheduled Tribe Component. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-823/38वेंरा0खे0रोश0हरि0हॉकीटर्फनि0पत्रा0/2015-16/दे0दून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 एवं अनु सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली के संलग्न 03 विभिन्न शासनादेश संख्या: 33-142/MYAS/Khelo India/2017-I/3972-3977, Dated : 27 September, 2017, No. 33-142/MYAS/Khelo India/2017-II, Dated : 27 September, 2017 and No. 33-142/MYAS/Khelo India/2017-III, Dated : 27 September, 2017 (copy attached) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित हॉकी स्टेडियम में निर्माण हेतु खेलों इण्डिया योजनान्तर्गत केवल हॉकी टर्फ हेतु ₹ 550.00 लाख की धनराशि पर अपनी सहमति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में विभिन्न लेखाशीर्षकों के माध्यम से (₹ 1,96,02,500/-, ₹ 46,77,000/- एवं ₹ 7,20,000/-) इस प्रकार कुल ₹ 2,50,00,000/- (₹ दो करोड़ पचास लाख) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त कार्य को प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार द्वारा आपके निर्वतन पर रखी हुई धनराशि को भारत सरकार के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में अंकित लेखाशीर्षकवार धनराशि के सम्बन्ध में निहित व्यवस्थानुसार नियमों एवं शर्तों का संज्ञान लेते निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की "राज्यपाल महोदया" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से भारत सरकार के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में निहित के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4. यह स्वीकृति भारत सरकार के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में दी गयी वित्तीय स्वीकृति एवं नियम-शर्तों के क्रम में निर्गत की जा रही है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-739/VI/2018-21(15)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनु सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र के क्रम में।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।